**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद सं0–77/2020**

कलमा बेगम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तबरेज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **12.09.2022** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 16.02.2022 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है।<br>**आदेश (ORDER)**<br>वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण को ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी सं0–09 नेशार मियाँ इस मुकदमें को दाखिल करने से पूर्व मर चुके है। परंतु जानकारी के आभाव में प्रतिवादी बना दिया गया है। इस तथ्य की जानकारी होने के उपरांत कोरोना महामारी के कारण न्यायालय बंद हो गया। अतः प्रतिवादी सं0–09 का नाम काटने एवं उनके वारिसानों का नाम जोड़ने का आवेदन नही दिया जा सका। प्रतिवादी सं0–09 मुकदमा दाखिल करने के छह माह पूर्व अपनी पत्नी मोबिना खातुन तथा दो लडके जाकिर मियाँ एवं साकिर मियाँ को छोड़कर मरें है। जो मुकदमे के आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रतिवादी सं0–09 नेशार मियाँ का नाम काटकर उनके जीवित वारिसानों के नामों को जोड़ने की कृपा करें। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है।<br>प्रतिवादी सं0–02 ता 06 के द्वारा वादीगण के आवेदन का दिनांक 29.08.2022 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के है तथा प्रतिवादी सं0–09 नेशार मियाँ की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई है। जानबुझकर वादीगण द्वारा नेशार मियाँ को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के साथ नेशार मियाँ की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र भी दाखिल नही किया है। अतः आवेदन खारिज होने योग्य है। | |

**<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>**
**<u>स्वत्व वाद सं0–77/2020</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 12.09.2022** | उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–9 नेशार मियाँ की मृत्यु वाद दाखिल करने से पूर्व ही हो गयी थी। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। लेकिन वादीगण द्वारा विलंब से आवेदन दिया गया है। नेशार मियाँ के विधिक वारिसान इस वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वादो की बहुलता को रोकने के लिए सभी हितबद्ध व्यक्ति को वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। अतः न्याय हित में वादीगण का आवेदन मो0–300/– रूपये खर्चे पर स्वीकार किया जाता है।<br>वाद दिनांक 24.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश, प्रथम<br>नरकटियागंज | |